

- आदेश -

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उप दुरस्ती परस्पर लिखित प्रार्थियों के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होना योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा (है.)	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा (है.)
शहीरी का वास	48	बालाराम पुत्र बलाराम पति शहीर (धाढ़न) खाता है खातेदार रकबा 214 बट्टर	141 20 203 कुल रकबा = 12	12.63	बालाराम पुत्र बलाराम पति शहीर (धाढ़न) खाता है खातेदार रकबा कुल रकबा 214 बट्टर	141 20 203 कुल रकबा = 12	12.63

क्रमांक :-

377
20.10.21

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त शिविर प्रभारी
जिला कलेक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त शिविर प्रभारी
जिला कलेक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर